

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: जमा स्वीकार नहीं करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

आरएफपी संदर्भ संख्या:- NHB/HO/DOS/2026/00001

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) – उदयपुर, राजस्थान में स्थित गैर-जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक
लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय आवास बैंक, दिल्ली
प्रधान कार्यालय
कोर 5ए, तीसरी से पाँचवीं मंजिल,
इंडिया हैबिटेड सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: जमा स्वीकार नहीं करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों को उपलब्ध करने की तिथि	03-10-2026
2.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	13-10-2026, शाम 06:00 बजे
3.	वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि एवं समय	14-10-2026 को कार्यालय समय के दौरान
4.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, प्रधान कार्यालय, कोर 5ए, तीसरी से पांचवीं मंजिल, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड – 110003

नोट:-

- उपरोक्त कार्यक्रम में परिवर्तन हो सकता है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल के माध्यम से या राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी सबूतों/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डेटा/सूचना की रिपोर्ट की जानी चाहिए और इसे इस आरएफपी के प्रकाशन की तिथि के अनुसार माना जाएगा।
- बोलीदाता द्वारा निविदा आवेदन एक सीलबंद लिफाफे में **“फॉरेंसिक ऑडिट के लिए वाणिज्यिक कोटेशन”** अंकित करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) को नीचे दिए गए पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए:

महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक,
दिल्ली प्रधान कार्यालय
कोर 5ए, 5वीं मंजिल,
इंडिया हैबिटेड सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: जमा स्वीकार नहीं करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्रों और विभिन्न आय वर्गों को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- अधिनियम के तहत प्राप्त पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को बढ़ाना।
- आवास हेतु सेवित भूमि की सुविधाप्रदता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं।

3. कार्य क्षेत्र-

लेखा परीक्षा फर्म से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित बिंदुओं (जो केवल उदाहरणार्थ हैं, संपूर्ण नहीं) को ध्यान में रखे:

- i) रा.आ.बैंक के अधिकारियों के साथ शिकायतों और अन्य पहलुओं को समझना।
- ii) कंपनी की विभिन्न प्रक्रियाओं और लेखा प्रणाली में डेटा प्रबंधन को समझने के लिए कंपनी के शीर्ष प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और टीम के अन्य सदस्यों के साथ प्रारंभिक चर्चा करना।
- iii) कंपनी की ऋण उत्पत्ति प्रणाली और लेखांकन/ऋण प्रबंधन प्रणालियों की जांच करना, जिसमें जहां भी उपलब्ध हों, उपयोगकर्ता अभिगम नियंत्रण, मेकर-चेकर नियंत्रण, सिस्टम द्वारा तैयार ऑडिट ट्रेल और लॉग शामिल हों। इसके अंतर्गत ऋण खातों, ग्राहक संबंधी जानकारी, चुकौती प्रविष्टियों, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के वर्गीकरण और लेखांकन प्रविष्टियों के सृजन, संशोधन, विलोपन, पिछली तारीख से प्रविष्टि करने या उनमें बदलाव करने की जांच करना तथा असामान्य उपयोगकर्ता गतिविधियों या सिस्टम में किए गए नियंत्रण संबंधी बदलावों की पहचान करना।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: जमा स्वीकार नहीं करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

- iv) कंपनी द्वारा विनियामक विवरणियों और अन्य प्रस्तुतियों में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी की सटीकता और पूर्णता का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना।
- v) यह जांच करना कि ऋणदाताओं को सौंपे गए/चिह्नित किए गए ऋण खातों का सही वर्गीकरण किया गया था या नहीं तथा क्या किसी ऋणदाता के समक्ष एनपीए/दबावग्रस्त खातों को मानक आस्तियों के रूप में दर्शाया गया था।
- vi) ऐसे सभी मामलों की पहचान करना, जिनमें एक ही ऋण खाते, उधारकर्ता, अंतर्निहित प्रतिभूति या प्राप्य राशि को एक से अधिक ऋणदाताओं के समक्ष चिह्नित, सौंपा, गिरवी रखा गया या किसी अन्य रूप में दर्शाया गया हो। इसके अतिरिक्त, ऐसे फर्जी ऋण खातों की पहचान करना, जिन्हें ऋणदाताओं को सौंपा गया/चिह्नित किया गया था।
- vii) रा.आ.बैंक को चिह्नित किए गए उन सभी ऋण खातों की पहचान/सत्यापन करना, जिन्हें रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रदान किया गया था।
- viii) लेखा बहियों में दर्शाए गए फर्जी, दिखावटी, गैर-वास्तविक या अप्रमाणित ऋण खातों की पहचान करना और उनकी जांच करना। इसमें उधारकर्ताओं के अस्तित्व, केवाईसी, ऋण स्वीकृति, ऋण संवितरण, बैंक खाते के विवरण, ऋण दस्तावेजीकरण, चुकौती के रिकॉर्ड और निधियों के अंतिम उपयोग का सत्यापन करना तथा ऐसे खातों के सृजन और उनके बाद के लेखांकन संबंधी व्यवहार का पता लगाना शामिल है।
- ix) ग्राहकों के उन ऋण खातों की भौतिक ऋण फाइलों (ऋण दस्तावेजों/संपत्ति दस्तावेजों/स्वत्व विलेखों, केवाईसी, बैंक विवरण आदि) का सत्यापन करना, जिनमें टिप्पणियों में उल्लिखित गलत ईएमआई संग्रह प्रविष्टियां की गई थीं।
- x) 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तथा संबंधित पूर्ववर्ती अवधियों के लिए कंपनी की ऋण-वार एनपीए स्थिति का स्वतंत्र रूप से निर्धारण करना। इसमें डीपीडी, अतिदेय राशियों, चुकौती इतिहास, पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण, नकद/अन्य संग्रह, रिवर्सल और बाद में हुई वसूली की समीक्षा करना तथा ऐसे मामलों की पहचान करना शामिल है, जिनमें दबावग्रस्त/एनपीए खातों को मानक खातों के रूप में बनाए रखा गया या रिपोर्ट किया गया था।
- xi) रा.आ.बैंक के अधिकारियों और लेखा परीक्षा फर्म के बीच समय-समय पर होने वाली बैठकों के आधार पर चर्चा किए जाने वाले/निर्धारित की जाने वाली अन्य बिंदु/टिप्पणियां।

4. बोलीदाताओं को निर्देश

4.1. सामान्य:-

बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते के अतिरिक्त, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी विधिक संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौते के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथित संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: जमा स्वीकार नहीं करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करते ही यह सुनिश्चित करना है कि उसने आरएफपी और अस्वीकरण की शर्तें स्वीकार की हैं।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

संपर्क व्यक्ति	1. श्री राहुल कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक – 011-3918-7166 (Rahul.kumar@nhb.org.in) 2. श्री साकेत मिश्रा, उप प्रबंधक – 011-3918-7390 (saket.mishra@nhb.org.in)
----------------	---

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल और पूर्ण पते का विवरण प्रदान करना चाहिए, ताकि आरएफपी से संबंधित उत्तर शीघ्रता से उन तक पहुँचाए जा सकें।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) बोलियां जमा करने की समय-सीमा से पूर्व ऊपर दिए गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।
- बोलीदाता को बोली खोलने की तारीख और/या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग/व्यय विभाग या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित नहीं किया गया होना चाहिए।
- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित रूप में या मेल द्वारा या अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति हेतु कोई कारण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।

4.2. विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या ऊपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी स्थिति में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या ऊपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “नोट किया” जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: जमा स्वीकार नहीं करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ. बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.3. बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ में सुधार कर सकता है।
- संशोधन राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर पोस्ट किया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ. बैंक किसी भी संविदाहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.4. बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किए जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज़ एवं समर्थित दस्तावेज़ व मुद्रित सामग्री अंग्रेज़ी या हिंदी में लिखित होंगे।

4.5. स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार:

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

4.6. बोली में शामिल दस्तावेज़ (यदि कोई हों, कृपया प्रारूपों में अलग से निर्धारित निर्देशों का पालन करें)

1. अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी।
2. अनुलग्नक II में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा।
3. अनुलग्नक III के अनुसार वाणिज्यिक बोली का कवरींग पत्र।
4. अनुलग्नक IV के अनुसार वाणिज्यिक बोली का प्रारूप।
5. अनुलग्नक V के अनुसार ईसीएस अधिदेश।
6. अनुलग्नक VI के अनुसार अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता।
7. अनुलग्नक VII के अनुसार सेवा स्तर समझौता।
8. अनुलग्नक VIII के अनुसार गोपनीयता-सह-गैर-प्रकटीकरण समझौता।

नोट: राशि के बिना बोलियाँ तुरंत खारिज कर दी जाएंगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: जमा स्वीकार नहीं करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

4.7. बोली की मुद्रा

बोलियाँ केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। भारतीय रुपये के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.8. बोलियों की वैधता की अवधि

- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित कीमतें और अन्य शर्तें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति घोषणा/ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

4.9. बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

- रा.आ. बैंक, अपने विवेकानुसार, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकता है। उस स्थिति में, रा.आ. बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व बढ़ी हुई अंतिम तारीख तक पूर्ववत रहेंगे।

4.10. देर से प्राप्त बोलियां

रा.आ. बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा के बाद रा.आ. बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोलीदाता को बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

4.11. रा.आ. बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलियां रा.आ. बैंक समिति द्वारा खोली जाएंगी।

बोली खोलने का स्थान: राष्ट्रीय आवास बैंक, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलियां रा.आ. बैंक समिति द्वारा खोली जाएंगी।

वाणिज्यिक बोलियों के खोलने का स्थान:

राष्ट्रीय आवास बैंक,
दिल्ली प्रधान कार्यालय
कोर 5ए, तीसरी से पांचवीं मंजिल,
इंडिया हैबिटेड सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

- बोली को वर्चुअल माध्यम से भी खोला जा सकता है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: जमा स्वीकार नहीं करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

4.12. प्रारंभिक जांच

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किए गए हैं; सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किए गए हैं एवं बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।
- रा.आ.बैंक, अपने विवेकानुसार, बोली में किसी भी मामूली कमी, गैर-अनुरूपता या अनियमितता में छूट दे सकता है जो भौतिक विचलन का गठन नहीं करती है, बशर्ते ऐसी छूट किसी भी बोलीदाता की सापेक्ष रैंकिंग को प्रभावित या पक्षपात नहीं करती है।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम है।

4.13. प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की संपत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिए जाएंगे या नष्ट कर दिए जाएंगे।

4.14. बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा समर्पित कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही निपटाएगा।

4.15. मूल्य संरचना और भिन्नता

- वाणिज्यिक प्रस्ताव निश्चित मूल्य के आधार पर होगा। अनुबंध की अवधि के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य के लिए करें (वर्तमान और भविष्य) को छोड़कर परामर्श शुल्क से संबंधित मूल्य में किसी भी प्रकार के बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- केवल जीएसटी का भुगतान वैधानिक संशोधन के अनुसार वास्तविक आधार पर किया जाएगा।
- कार्य सौंपे जाने की कार्यान्वयन तिथि, अवार्ड पत्र की स्वीकृति की तिथि (प्रारंभ तिथि) या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित कोई अन्य तिथि होगी। यदि लागू हो, तो इसी तिथि को सहायता सेवाओं आदि के नवीनीकरण के लिए भी मान्य माना जाएगा।

4.16. सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

चयनित बोलीदाता के पास इस अनुबंध के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उचित और पर्याप्त सहायता व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: जमा स्वीकार नहीं करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

4.17. बोली मूल्यांकन

4.17.1 न्यूनतम पात्रता मानदंड

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली लेखा परीक्षा फर्म बोली लगाने के लिए पात्र होंगी:

- i) लेखा परीक्षा फर्म का फॉरेंसिक लेखा परीक्षा करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पैनल में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है;
 - ii) लेखा परीक्षा फर्म का प्रधान कार्यालय दिल्ली एनसीआर में स्थित होना चाहिए।
- 'न्यूनतम पात्रता मानदंडों' का अनुपालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार किया जा सकता है और उन पर आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली लेखा परीक्षा फर्मों का मूल्यांकन उनके द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक कोटेशन के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सबसे कम पेशेवर शुल्क (एल1) उद्धृत करने वाली लेखा परीक्षा फर्म को बैंक द्वारा फॉरेंसिक लेखा परीक्षा करने के लिए चयनित किया जाएगा।

4.18. बोली लगाने वाली कंपनियों के लिए नियम एवं शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली हेतु अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है। यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा।

4.19. राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किए जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

4.20. प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किए गए बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किए गए हैं। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाए। यदि यह घोषणा-पत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर-जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणा-पत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

4.21. विधि का अनुपालन

(क) लेखा परीक्षा फर्म/बोलीदाता को लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किए जाएंगे के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने का वचन देना होगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: गैर-जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

4.22. निश्चित समझौता

सफल बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ अनुबंध के पत्र (एलओए) के 15 दिनों के भीतर या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तय की गई ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर **अनुलग्नक VII** के प्रारूप में दिए गए सेवा स्तर समझौते (एसएलए) पर हस्ताक्षर करेगा। इस आरएफपी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप समझौते/समझौतों के निष्पादन के संबंध में सभी खर्च, स्टाम्प शुल्क और अन्य शुल्क/व्यय सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। स्वीकृति पत्र, अनुबंध और गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता को विधिवत अधिकृत करने वाले बोर्ड के प्रस्ताव या पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.23. अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता खंड (इसे केवल उन मामलों में शामिल किया जाएगा जो राष्ट्रीय आवास बैंक की नीति के अनुसार तय सीमा पर निर्भर करते हैं)

राष्ट्रीय आवास बैंक और बोलीदाता के बीच एक अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है। यदि उप-अनुबंध की अनुमति दी जाती है, तो अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय आवास बैंक, बोलीदाता और/या उप-अनुबंधकर्ता के बीच यह एक बाध्यकारी समझौता है। इस समझौते के तहत, बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ एक निर्दिष्ट तरीके से नियुक्ति करने के लिए सहमत है।

संभावित बोलीदाताओं द्वारा अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करना बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक पूर्व-योग्यता है, हालांकि, अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने से बोलीदाता को अनुबंध देने की गारंटी नहीं मिलती है। अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते को सफल बोलीदाता को दिए जाने वाले अनुबंध का एक हिस्सा माना जाता है। अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते का प्रारूप **अनुलग्नक - VI** के अनुसार होगा।

इस संबंध में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से सलाह करके सत्यनिष्ठा समझौते के लिए श्री जोनेश्वर शर्मा (ईमेल आईडी: sharmajoj@gmail.com) और श्री राजेंद्र श्रीवास्तव (ईमेल आईडी: aaremes@yahoo.com) को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर नियुक्त किया है।

अगर कोई बोलीदाता सत्यनिष्ठा समझौते के तहत किए गए अपने वादों या प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता है, तो पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौते में बताई गई पाबंदियाँ लागू की जाएंगी।

बोलीदाताओं को यह सलाह भी दी जाती है कि वे एक आचार संहिता बनाएँ (जिसमें रिश्तित और अन्य अनैतिक व्यवहार के इस्तेमाल को स्पष्ट रूप से नकारा गया हो) और इस आचार संहिता को लागू करने के लिए एक अनुपालन कार्यक्रम भी रखें।

5. वाणिज्यिक नियम और शर्तें

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस कार्य हेतु निम्नलिखित वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर ध्यान दें।

5.1. मूल्य

क) बोलीदाता **अनुलग्नक IV** में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपना वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य में सभी प्रकार की लागतें, जैसे जेब से किए जाने वाले व्यय, यात्रा, आवास, लेवी शुल्क, बीमा आदि शामिल होने चाहिए।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: गैर-जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

- ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि लेखा परीक्षा फर्म द्वारा अपने वाणिज्यिक प्रस्ताव में विशेष रूप से उद्धृत पेशेवर शुल्क के अतिरिक्त, बैंक द्वारा किसी भी प्रकार के अन्य व्यय, लागत, शुल्क या अतिरिक्त भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- ग) मूल्य संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए वैध और निश्चित होना चाहिए।
- घ) मूल्य भारतीय रुपये में उद्धृत किया जाना चाहिए।
- ड) बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य, अनुबंध के निष्पादन के दौरान अर्थात् संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए निश्चित रहेगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
- च) समायोज्य मूल्य कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-अनुरूप माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5.2. भुगतान की शर्तें

कोई भी भुगतान, अनुलग्नक VII में बताए गए प्रारूप के अनुसार सेवा स्तर समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ही जारी किया जाएगा। कार्य के निष्पादन के दौरान लेखा परीक्षा फर्म को कोई भी आंशिक भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य पूरा होने के बाद, लेखा परीक्षा फर्म निपटान के लिए अपना अंतिम बिल पेश कर सकता है।

5.3. कार्य की अवधि और निष्पादन का स्थान

लेखा परीक्षा की अवधि 10 कार्य दिवसों की होगी और इसे उदयपुर में किया जाना होगा।

5.4. लेखा परीक्षा फर्म द्वारा फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना

लेखा परीक्षा फर्म को फॉरेंसिक लेखा परीक्षा पूरा होने की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर रा.आ.बैंक को अंतिम फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस रिपोर्ट में लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित नियमितताओं/धोखाधड़ीपूर्ण या फर्जी लेन-देन, निष्कर्षों, टिप्पणियों और वित्तीय प्रभाव आदि को विधिवत शामिल किया जाना चाहिए।

6. सामान्य नियम एवं शर्तें

- 6.1. बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आरएफपी और इसके अनुलग्नकों में दिए गए सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं का अध्ययन करे। आरएफपी दस्तावेजों में निर्धारित प्रारूपों में अपेक्षित सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता या आरएफपी दस्तावेज के उत्तर के भाग के रूप में अनावश्यक अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने से प्रस्ताव अस्वीकृत हो सकती है।
- 6.2. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आरएफपी में किए गए सभी संशोधन आरएफपी का ही हिस्सा माने जाएंगे और इनकी जानकारी राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर दी जाएगी। बोलीदाताओं को ऐसे किसी भी संशोधन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर नजर रखने की आवश्यकता है।
- 6.3. इस कार्य के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्ताव तैयार करते समय बोलीदाताओं को इस आरएफपी दस्तावेज की प्रत्येक पंक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे प्रतिक्रियाएं/बोलियां जमा करने से पहले राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किसी भी मुद्दे को स्पष्ट करवा लें। प्रस्तुत बोलियां सभी डिलिवरेबल्स को पूरा करते हुए सभी मामलों में पूर्ण होनी चाहिए।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: गैर-जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

- 6.4. राष्ट्रीय आवास बैंक के पास बिना कोई कारण बताए जरूरतों की शर्तों को बदलने और संशोधित बोलियां या टेंडर प्रक्रिया की मांग करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 6.5. राष्ट्रीय आवास बैंक इस आरएफपी के जवाब में मिले सबसे कम या किसी अन्य प्रस्ताव/बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार रखेगा, जिसमें देर से प्राप्त या अधूरे प्रस्ताव भी शामिल हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास अनुबंध की शर्तों और नियमों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी बोलीदाता से मिलने और चर्चा करने, या किसी भी अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इस मामले में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- 6.6. बोलीदाता को इस कार्य हेतु जरूरी योग्यता, अनुभव और कौशल आदि वाले कर्मचारियों को तैनात करना होगा।
- 6.7. राष्ट्रीय आवास बैंक के पास कोई भी अतिरिक्त जानकारी मांगने का अधिकार है। साथ ही, अगर राष्ट्रीय आवास बैंक को लगता है कि दी गई जानकारी अधूरी है या बोलीदाता अनुबंध के लिए योग्य नहीं है, तो वह किसी भी बोलीदाता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है।
- 6.8. वाणिज्यिक और तकनीकी बोलियों के सभी पृष्ठों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अहस्ताक्षरित बोलियों को अधूरा माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 6.9. प्रस्ताव/बोली जमा करके, बोलीदाता इस बात से सहमत होता है कि उसे सौंपे गए किसी भी काम के लिए वह राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ तुरंत अनुबंध करेगा। यदि बोली जीतने वाला राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ कोई वैध अनुबंध या सेवा स्तर समझौता नहीं करता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक बोलीदाता के प्रति अपनी किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा और किसी दूसरे बोलीदाता को चुन सकता है।
- 6.10. इस समझौते/अनुबंध में सेवा का समय और गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनका पालन न करने पर इसे अनुबंध की शर्तों और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
- 6.11. जुर्माना
- यदि लेखा परीक्षा फर्म निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक प्रत्येक सप्ताह की देरी या उसके किसी भी हिस्से के लिए आदेश मूल्य का 5% जुर्माना लगाएगा।
- 6.12. कार्य आदेश/पत्र की स्वीकृति
- राष्ट्रीय आवास बैंक सफल बोलीदाता को पुरस्कार/कार्य आदेश की प्रतिलिपि लिखकर सूचित करेगा। सफल बोलीदाता को पुरस्कार/कार्य आदेश के पत्र की प्रतिलिपि को स्वीकार करने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर राष्ट्रीय आवास बैंक को वापस करना होगा, और स्वीकृति के प्रतीक के रूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। हालांकि, राष्ट्रीय आवास बैंक को पुरस्कार/कार्य आदेश के पत्र को रद्द करने का अधिकार है, यदि इसे निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकार नहीं किया जाता है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: गैर-जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

6.13. कर

केवल जीएसटी का भुगतान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के दौरान प्रचलित वैधानिक दरों के अनुसार वास्तविक आधार पर किया जाएगा। लागू होने वाले अन्य सभी कर बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। लेखा परीक्षा फर्म को किए गए भुगतान के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक कानून/नियम के अनुसार आवश्यक कर कटौती स्रोत पर करने के लिए अधिकृत है।

6.14. अनुबंध दस्तावेजों और जानकारी का उपयोग

लेखा परीक्षा फर्म, राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज या जानकारी का उपयोग बोली दस्तावेजों में या अन्यथा नहीं करेगी।

6.15. असाइनमेंट

लेखा परीक्षा फर्म, राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी अन्य को हस्तांतरित या उप-अनुबंधित नहीं करेगी।

6.16. गोपनीय जानकारी

बोलीदाता/चयनित फर्म, बैंक और/या आवास वित्त कंपनी द्वारा बोलीदाता/चयनित फर्म को उपलब्ध कराई गई, प्रदान की गई या प्रकट की गई सभी सूचनाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, आँकड़ों, रिपोर्टों, पत्राचार और अन्य सामग्रियों, चाहे वे भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप में हों, के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगी।

6.17. प्रतिबंध/ब्लैकलिस्टिंग

सार्वजनिक खरीद के लिए सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन करने पर बोलीदाता को प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बोलीदाता को किसी अन्य कार्रवाई या चूक के लिए भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय आवास बैंक की राय में, पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौते के प्रावधानों के उल्लंघन, उप-मानक सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करना, कार्यों का परित्याग, कार्यों की उप-मानक गुणवत्ता, घोषणाओं का पालन करने में विफलता आदि जैसे कारणों से निषिद्ध है।

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: गैर-जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा

अनुलग्नक हेतु दस्तावेज़ का अंग्रेज़ी संस्करण देखें।